न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री सुशील कुमार सैनी (आर॰ए॰एस॰)

जीसीएमएस नं. 2024/338
मुकदमा नम्बर 132/2024 दर्ज दिनांक– 23.07.2024

विधाधर पुत्र श्योबक्स जाति जाट, निवासी सोटवारा हाल मोहब्तसर, तहसील नवलगढ जिला झुझुंनू

—आवेदक

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड हॉल्डर तहसीलदार नवलगढ़

—अनावेदक

वकील आवेदक : – श्री विजेन्द्र जाखड
वकील अनावेदक :– पैरा. राज.

<u>प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट</u>

:: आदेश :: **निर्णय दिनांक 10.09.2025**

प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र अ0धा0 136 एल.आर. एक्ट का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, राजस्व ग्राम मोहब्तसर की सरहद में स्थित खाता सं. 233 की कृषि ख.नं. 135 रकबा 0.88 है0, ख.नं. 166 रकबा 1.24 है0 कुल रकबा 2.12 है0 के राजस्व रिकार्ड में खातेदार विधाधर पुत्र धन्ना के स्थान पर विधाधर पुत्र श्योबक्स जाति जाट निवासी सोटवारा, दर्ज किया जावे।

प्रा. पत्र पेश होने पर बाद अवलोकन दर्ज रजिस्टर किया गया तथा तलबी अनावेदक कि जारी की गई। अनावेदक की और से जरिये पैरो. राज. रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5774 दिनांक 20.12.2024 पेश हुई।

बहस प्रा. पत्र पेश होने पर बगौर सुनी गई। मुताबिक तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5774 दिनांक 20.12.2024 के अनुसार आवेदक का प्रा. पत्र साबित पाया जाता है।

लिहाजा आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र रिपोर्ट तहसीलदार नवलगढ़ तथा प्रा. पत्र के समर्थन में प्रस्तुत स्वंय द्वारा प्रस्तुत प्रा. पत्र के आधार पर पोषणीय व न्यायोचित होने से स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम मोहब्तसर की सरहद में स्थित खाता सं. 233 की कृषि ख.नं. 135 रकबा 0.88 है0, ख.नं. 166 रकबा 1.24 है0 कुल रकबा 2.12 है0 के राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

रिकार्ड में खातेदार विधाधर पुत्र धन्ना के स्थान पर विधाधर पुत्र श्योबक्स जाति जाट निवासी सोटवारा,दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5774 दिनांक 20.12.2024 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू

रिकार्ड में खातेदार विधाधर पुत्र धन्ना के स्थान पर विधाधर पुत्र श्योबक्स जाति जाट निवासी सोटवारा,दुरूस्त कर दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

सुलभ संदर्भ हेतु तहसीलदार नवलगढ कि रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/5774 दिनांक 20.12.2024 उक्त आदेश का भाग होगी।

मुताबिक आदेश तहसीलदार नवलगढ राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती तथा आवश्यक अमलदरामद करे। तहसीलदार नवलगढ़ को पृथक से तहरीर जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय/आदेश आज दिनांक 10.09.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुशील कुमार सैनी)RAS
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़
जिला–झुझुंनू